

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई 30 प्र0 जल निगम, सहारनपुर।

ढिक्का कला ग्रामीण पेयजल योजना,

( मल्टी सेक्टरियल डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत )

हस्तान्तरण प्रपत्र

5

1. योजना के कार्यों का विवरण-

मल्टी सेक्टरियल डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड सरसावा की ग्राम पंचायत ढिक्का कला के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ किया गया। योजना में अवर जलाशय, 350 किली./14 मी. स्टेजिंग, 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, राइजिंग मेन, स्टाफ क्वार्टर एवं इत्यादि कार्य प्रस्तावित थे। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर योजना माह जून 2020 में जनोपयोगी कर दी गयी है।

इस योजना द्वारा ग्राम पंचायत जगत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति विगत 7 माह से सुचारु रूप से की जा रही है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से जनोपयोगी है।

कं सं० कार्य का विवरण

मात्रा :

(अ)- सिविल कार्य-

1.	अवर जलाशय (350 किली. 14 मी० स्टेजिंग)	1 नग
2.	पम्पहाउस कम क्लोरोनोम	1 नग
3.	राइजिंग मेन डी.आई.के-7 200 एम.एम. व्यास	45.00 मीटर
4.	वितरण प्रणाली-	
	एच०डी०पी०ई० 90 एमएम व्यास	8520.00 मीटर
	एच०डी०पी०ई० 110 एमएम व्यास	1338.00 मीटर
	एच०डी०पी०ई० 140 एमएम व्यास	850.50 मीटर
	एच०डी०पी०ई० 200 एमएम व्यास	658.00 मीटर
	डी०आई० के-7 200 एमएम व्यास	55.00 मीटर

योग:- 11421.50 मीटर

5. स्लूस बाल्व

200 एमएम व्यास	4 नग
150 एमएम व्यास	1 नग
100 एमएम व्यास	1 नग
80 एमएम व्यास	1 नग

6. बाउण्ड्री वाल

136.00 मीटर

7. हाउस कनेक्शन

655 नग

(ब)- पानी के रिसाव को दूर करने, जलकल की आय को बढ़ाने एवं पानी की शुद्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक सुझाव-

1. निजी संयोजन केवल मीटर संयोजन के द्वारा ही दिये जायें।
2. योजना पर पानी इकट्ठा करने की क्षमता पर्याप्त हैं, इसीलिए पेयजल आपूर्ति निश्चित समयानुसार की जानी चाहिये जिससे कि स्टैण्ड पोस्ट से पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
3. जल नलिकायें, वाल्व फिटिंग्स, फायरहाइड्रेन्ट्स की निश्चित अवधि के अन्दर जांच की जानी चाहिये तथा अगर उनमें कोई कमी है तो तुरन्त ठीक कर देना चाहिये।
4. सार्वजनिक जल स्तम्भ जहां तक संभव हो उनको कम ही रखा जाये क्योंकि पानी की बरबादी का मुख्य स्रोत जल स्तम्भ ही होते हैं। जल स्तम्भों को टॉटी युक्त ही रखा जाये।
5. पानी का शुल्क समय समय पर पुनरीक्षित करते रहना चाहिये जिससे कि व्यय के अनुपात में आय की बढ़ोतरी हो जाये। व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पानी की दरें अधिक ली जायें तथा उनके संयोजन बिना मीटर के न किये जायें।
6. समय समय पर स्कावर वाल्व के द्वारा पाइप लाइन की सफाई कराते रहना चाहिए।
7. एयर वाल्व कार्यशील रखें जायें।
8. उचित व नियमित रूप से क्लोरिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा इसकी मात्रा 0.20 पीपीएम होनी चाहिये।
9. निजी संयोजन केवल रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा ही कराये जायें।
10. समस्त संयोजन 15 एमएम साइज के जी.आई. पाइप के माध्यम से फौरल द्वारा ही दिये जायें।
11. कोई भी अतिरिक्त जल नलिकायें सीवर/ताल में न डाली जायें।
12. पम्पों को न ज्यादा वोल्टेज तथा न कम वोल्टेज पर चलाया जाये। इनका संचालन न्यूनतम 370 वोल्टेज के दरम्यान किया जाये। ऐसा न करने पर पम्पों को हानि पहुंच सकती है। संचालन के समय बोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर की रीडिंग को लोग बुक में प्रविष्टी अवश्य की जाये।

(स)- रखरखाव हेतु कार्यक्रम-

1. सामान्य-वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हों। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।

2. व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना- पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं-अवर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फौरल का जोड़ ठीक न होना, वाल्वस में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टॉटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरुपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।

3. जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो वाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।

4. निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कर लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

सारांश- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फेरूल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकी राय के लिये उ.0प्र0 जल निगम की सेवार्यें उपलब्ध ही रहेंगी।

हस्तगतकर्ता

हस्तान्तरण कर्ता

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव अधिकारी

ग्राम पंचायत, टिकरवा

ग्राम पंचायत, टिकरवा  
ब्लॉक सरसावा (स०पुर)

(अनुराग सिंह)

सहा०परि०अभि०,

निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम,

सहारनपुर।

(नरेश गुप्ता)

परियोजना अभियन्ता

ग्राम पंचायत, टिकरवा  
ब्लॉक सरसावा (स०पुर)